



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231472
CG-DL-E-30112021-231472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]
No. 618]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2021/अग्रहायण 8, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2021/AGRAHAYANA 8, 1943

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 10 नवम्बर, 2021

प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमावली, 2021

सं. DOR. SIG. FIN. No. 52140/20.16.050/2021-22.—प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 30) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमावली, 2006 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इन विनियमों को प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमावली, 2021 कहा जा सकता है।
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. विनियम 3 का संशोधन प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमावली, 2006 में, विनियम 3 में, खंड (i) के तुरंत बाद, निम्नलिखित को खंड (जे) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात्: "(जे) ऋण संस्थानों के समर्थन या लाभ के लिए सूचना के प्रसंस्करण में लगी एक इकाई, और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करें".

सौरभ सिन्हा, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./455/2021-22]

फुटनोट : प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमावली, 2006 दिनांक 14 दिसंबर 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), जीएसआर 754 (अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 11 अगस्त 2017 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया।

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th November, 2021

THE CREDIT INFORMATION COMPANIES (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. DOR. SIG. FIN. No. 52140/20.16.050/2021-22.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 (Act 30 of 2005), the Reserve Bank of India hereby makes the following regulations, to amend the Credit Information Companies Regulations, 2006.

1. Short title and commencement (1) These regulations may be called the Credit Information Companies (Amendment) Regulations, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
2. Amendment of regulation 3 of In the Credit Information Companies Regulations, 2006, in Regulation 3, immediately after Clause (i), the following shall be inserted as Clause (j), namely,
"j) an entity engaged in the processing of information, for the support or benefit of credit institutions, and satisfying the criteria laid down by the Reserve Bank from time to time".

SAURAV SINHA, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exy./455/2021-22]

Foot Note : The Credit Information Companies Regulations, 2006 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide GSR 754(E), dated December 14, 2006 and subsequently amended vide Notification dated August 11, 2017, published in Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4.